Indian J. Soc. & Pol. 06 (02): 77-80 :2019 **ISSN: 2348-0084(P)**
ISSN: 2455-2127(O)

भारत में राज्यों का पुनर्गठन : संघीय एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ

स्मिता पाण्डेय[1]

[1]असि0प्रो0, राजनीतिशास्त्र विभाग, पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला पी0जी0कालेज,लखनऊ, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही भारत के मूल भौगोलिक क्षेत्र में से कुछ प्रान्तों और रियासतों को मिलाकर नवनिर्मित राज्य पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अनुच्छेद 01 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–(1) राज्यों के क्षेत्र (2) संघ क्षेत्र (3) ऐसे संघ क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान का ढाँचा संघीय है। डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर के अनुसार 'राज्यों का संघ' उक्ति को संघीय राज्य के स्थापन पर महत्व देने के दो कारण हैं–एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिकी संघ में, राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिये बंटा हुआ है। प्रस्तुत शोध पत्र में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रशासनिक तथा संघीय चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

KEYWORDS: *संघ, राज्य, राज्य पुनर्गठन, संघ शासित प्रदेश*

''इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के क्षेत्रफल में राज्यों का क्षेत्र और केन्द्र शासित क्षेत्र सम्मिलित है। जम्मू–कश्मीर के अतिरिक्त किसी अन्य राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य के अधिकार एवं शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्षतः भारत का संविधान है। प्रत्येक इकाई राज्य का पृथक शासन है। आज भारत में 29 राज्य तथा 07 केन्द्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय इकाई राज्यों में एकरूपता नहीं है। संसद में भारत के राजनीतिक मानचित्र को परिवर्तित करने की अपूर्व शक्ति निहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक संसद इस शक्ति का खुलकर प्रयोग किया है।(अवस्थी, 2013 पृ0428)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 01 यह प्राविधानित करता है कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संघ इन इकाईयों के मध्य हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इकाईयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। सन् 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संघ के पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक् स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। इसके पश्चात् अनुच्छेद 02 भारतीय संसद को उपयुक्त शर्तों के आधार पर किसी भी नये राज्य को संघ में सम्मिलित करने का या नये राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है। संसद सामान्य विधान द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर नये राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद राज्यों की सहमति अथवा अनुमति के बिना भी उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु संविधान द्वारा अधिकृत है। यह संविधान संसद को किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 03 यह प्राविधानित करता है कि भारतीय संघ के नये राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से सम्बंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 03 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अनु0 03 में उल्लेखित कानून निर्माण सम्बंधी प्रावधानों के अनुसार, तत्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य के विधान मण्डल को निर्दिष्ट किया जायेगा। विधेयक भेजे जाने के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के सम्बंध में एक अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। राज्य द्वारा अभिव्यक्त किये गये मत को स्वीकार करने के लिये संसद बाध्य नहीं है। साथ ही संविधान द्वारा यह भी उपबंध किया गया है कि अनु0 02 और 03 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ इस संविधान का संशोधन नहीं समझे जायेंगे।(चन्द्रा, 2007 पृ0198. 199)

रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिये सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रिहायसी मंत्रालय बनाया गया। सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के अतिरिक्त सभी देशी रियासतें भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिये तैयार हो गई। बाद में जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर उस समय भारत में मिला लिया गया, जिस समय उसका शासक पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद की रियासत को 'पुलिस कार्यवाही' के माध्यम से भारत में मिलाया गया और जम्मू–कश्मीर रियासत के शासक ने अक्टूबर 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया। इन देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में सरदार बल्लभ भाई पटेल, वी0पी0मेनन और लार्ड माउन्टवेंटन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सन् 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया– भाग–क, भाग–ख, भाग–ग, भाग–घ। ये सभी संख्या में 29 थे। भाग–क में वे राज्य थे, जहाँ ब्रिटिश भारत में गर्वनर का शासन था। भाग–ख में 9 राज्य विधान मण्डल के साथ शाही शासन, भाग–ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही शासन था। भाग–ग में राज्य (कुल 10) का केन्द्रीकृत प्रशासन था। अण्डमान एवं

1: Corresponding Author

निकोबार द्वीप को अकेले भाग–घ में रखा गया था।(लक्ष्मीकांत, 2015 पृ053)

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रान्तों एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया।

'धर आयोग' का गठन :– स्वतंत्र भारत के अस्तित्व में आने के उपरान्त भाषा के आधार पर राज्यों का मांग जोर पकड़ लिया जो स्वतंत्रता के पूर्व से ही उठी थी। क्योंकि कांग्रेस 1920 के नागपुर प्रस्ताव के आधार पर इस माँग का समर्थन करती थी। इस दल ने तेलगू, कन्नड़ तथा मराठी भाषा जनता के दबाव में आकर राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को मान लिया तथा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस0के0धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। आयोग का कार्य विशेष रूप से दक्षिण भारत में उठी। इस माँग की जाँच करना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उक्त आयोग की अनुशंसा का तीव्र विरोध हुआ।(धर आयोग की अनुशंसा)

जे0वी0पी0समिति :– धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने और भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिये कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीतारम्मैया की एक समिति (जे0वी0पी0समिति) का गठन किया। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि जनता व्यापक रूप से इस माँग को उठाती है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जन भावना का सम्मान करते हुये इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए।(जेवीपी आयोग की अनुशंसा) समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलगू भाषियों ने पोट्टी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया 56 दिन के आमरण–अनशन के बाद 15 दिसम्बर, 1952 को श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गयी। इससे आन्दोलन तीव्र हो गया। **फजल अली आयोग :–** आन्ध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को (दिसम्बर 1953 में) एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिये विवश होना पड़ा। इसके अन्य दो सदस्य थे–के0एम0पाणिक्कर और एच0एन0कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिये चार बड़े कारकों की पहचान की।

(अ) देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। (ब) भाषायी व सांस्कृतिक एकरूपता। (स) वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क (द) प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन

आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अन्तर्गत चार आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाय और 16 राज्यों एवं 3 केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाये। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग–क और भाग–ख के बीच के दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग–ग को खत्म कर दिया गया। (फजल अली आयोग की अनुशंसा)

तालिका–01

क्र0	भाग–क में राज्य	भाग–ख में राज्य	भाग–ग में राज्य	भाग–घ में राज्य
1	असम	हैदराबाद	अजमेर	अण्डमान और
2	बिहार	जम्मू और कश्मीर	भोपाल	निकोबार द्वीप समूह
3	बम्बई	मध्य भारत	विलासपुर	
4	मध्य प्रदेश	मैसूर	कूच बिहार	
5	मद्रास	पटियाला और पूर्वी पंजाब	कुर्ग, हिमा0प्रदेश	
6	उड़ीसा	राजस्थान	दिल्ली	
7	पंजाब	सौराष्ट्र	कच्छ	
8	संयुक्त प्रान्त	त्रावणकोर–कोचीन	मणिपुर	
9	पश्चिम बंगाल	विंध्य प्रदेश	त्रिपुरा	

संवैधानिक सभा में 27 नवम्बर, 1947 को जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''महम्वपूर्ण कार्य सबसे पहले होना चाहिए और भारत के लिये महत्वपूर्ण इसकी सुरक्षा तथा स्थायित्व है।(अवस्थी और अवस्थी, पृ0218)

तालिका–02 (1 नवम्बर 1956 में भारतीय राज्य क्षेत्र)

क्र0सं0	राज्य	क्र0सं0	संघ शासित क्षेत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	1	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह
2	टासाम	2	दिल्ली
3	थ्बहार	3	हिमांचल प्रदेश
4	बम्बई	4	लकादीव, मिनिकाम और अमीनदीवी द्वीप समूह
5	जम्मू एवं कश्मीर	5	मणिपुर
6	केरल	6	त्रिपुरा
7	मध्य प्रदेश		
8	म्द्रास		
9	मैसूर		
10	उड़ीसा		
11	प्ंजाब		
12	राजस्थान		
13	उत्तर प्रदेश		
14	पश्चिम बंगाल		

''आयोग ने अपने कार्यकाल के दौरान कार्यकाल के दौरान 104 स्थानों का दौरा किया, 9000 व्यक्तियों से भेंट की, 152250 ज्ञापन

प्राप्त किये तथा राज्यों को नये प्रकार से पुनर्गठित करने की सिफारिश सम्बंधी प्रतिवेदन 30 सितम्बर 1955 को प्रस्तुत किया।''(राजपूत, पृ0 1994)

तालिका–03 (वर्तमान भारतीय राज्य क्षेत्र)

क्र0सं0	राज्य	क्र0सं0	राज्य	क्र0सं0	संघ शासित क्षेत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	16	मणिपुर	1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
2	अरूणाचल प्रदेश	17	मेघालय	2	चण्डीगढ़
3	असम	18	मिजोरम	3	दादरा एवं नगर हवेली
4	बिहार	19	नागालैण्ड	4	दमन एवं द्वीव
5	छत्तीसगढ़	20	उड़ीसा	5	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
6	गोवा	21	पंजाब	6	लक्षद्वीप
7	गुजरात	22	राजस्थान	7	पुदुचेरी
8	हरियाणा	23	सिक्किम		
9	हिमांचल प्रदेश	24	तमिलनाडू		
10	जम्मू एवं कश्मीर	25	त्रिपुरा		
11	झारखण्ड	26	उत्तराखण्ड		
12	कर्नाटक	27	उत्तर प्रदेश		
13	केरल	28	पश्चिम बंगाल		
14	मध्य प्रदेश	29	तेलंगाना		
15	महाराष्ट्र				

संविधान के प्रारम्भ से अब तक राज्यों का पुनर्गठन –

भारतीय संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों के द्वारा नये राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन किया गया (चन्द्रा, 2007 पृ042.43)

1– **असम –** सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1951 के द्वारा भारत के राज्य के क्षेत्र से एक भाग भूटान को सौंपकर असम की सीमा में परिवर्तन किया गया।

2– **आन्ध्र –** राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा संविधान के प्रारम्भ के समय विद्यमान मद्रास राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र निकालकर, आन्ध्र प्रदेश नामक नया राज्य बनाया गया।

3– **हिमांचल प्रदेश** और बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम 1954 से हिमांचल प्रदेश और बिलासपुर, इन दो भागों का विलयकर एक राज्य अर्थात् हिमांचल प्रदेश बनाया गया।

4– **बिहार और पश्चिमी बंगाल** – अधिनियम 1956 द्वारा कुछ राज्य क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल को सौंपे गये।

5– राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से भारत के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में स्थानीय और भाषायी मांगों को पूरा करने के लिये परिवर्तन किया गया। विद्यमान राज्यों के बीच कुछ राज्य क्षेत्रों को अंतरित किया गया। इसके अतिरिक्त एक नया केरल राज्य बनाया गया और मध्य भारत पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कोड़गू, कच्छ और विंध्य प्रदेश की रियासतों का उनसे लगे हुये राज्यों में विलय कर दिया गया।

6– राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम 1959 द्वारा राजस्थान राज्य से कुछ राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश को अंतरित किये गये।

7– आन्ध्र प्रदेश और महास (सीमा परिवर्तन) अधिनियम 1959 द्वारा आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किये गये।

8– बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात नामक एक राज्य बनाया गया और बम्बई के बचे हुये राज्य को महाराष्ट्र नाम दिया गया।

9– अर्जित राज्य क्षेत्र अधिनियम 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1958–1959 में किये गये समझौते द्वारा अर्जित कुछ राज्य क्षेत्रों का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय के लिये उपबंध किया गया।

10– नागालैण्ड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैण्ड राज्य की रचना की गयी जिसमें नागापहाड़ी और सेनसांग क्षेत्र का राज्य क्षेत्र समाविष्ट किया गया।

11– पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा राज्यों में और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में बांटा गया।

12– आन्ध्र प्रदेश और मैसूर अधिनियम 1968 के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र अंतरण किया गया।

13– बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम 1968 में बना।

14– असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा असम राज्य के भीतर मेघालय नाम का स्वशासी उपराज्य बनाया गया।

15– हिमांचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 की धारा 4 द्वारा इसे 25 जनवरी 1971 से राज्य का दर्जा दिया गया।

16– पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्यों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया और मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्रों में सम्मिलित किया गया।

17– हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम 1979 में बना।

18– मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।

19– अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 में पारित हुआ।

20– गोवा, दमन और द्वीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में पारित हुआ।

21– मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 ई0 द्वारा एक नया छत्तीसगढ़ राज्य बना।

22– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा नया उत्तराखण्ड (उत्तरांचल) राज्य बना।

23– बिहार पुनर्गठन अधिनियम– 2000 द्वारा झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ।

भारतीय राजनीति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व क्षेत्रीयता है, जिसके कारण लोग भारतीय संघ के अपेक्षा उस क्षेत्र या राज्य विशेष को अधिक महत्व देते हैं, जिसमें वह रहते हैं। प्रान्तीयता और क्षेत्रीयता जो नये राज्यों की मांग के साथ जुड़ा है यह भारतीय संघ के लिये एक गम्भीर चुनौती है। राष्ट्र के प्रति निष्ठावान बनने की दृष्टि से हमारे संविधान द्वारा इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गयी है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में भारतीय नागरिक होने की अपेक्षा बंगाली, बिहारी, गुजराती, मराठी, मद्रासी या पंजाबी या आसामी होने की चेतना अधिक है। परिणाम स्वरूप अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब क्षेत्रीय संकीर्णता भारतीय राष्ट्रीयता को बुरी तरह विषाक्त कर देती है।

भारतीय संदर्भ में यह ध्यान रहना होगा कि नये राज्यों की मांग एवं उसका अस्तित्व और क्षेत्रीयता एक–दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता एक अपभ्रंश प्रयोग है, जिसका अभिप्राय है– राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या छोटे क्षेत्र से लगाव अथवा उसके प्रति भक्ति या आकर्षण। जिसका उद्देश्य होता है अपनी संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थ की पूर्ति। भारतीय राजनीतिक परिवेश में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है जो भारतीय संघीय व्यवस्था के मार्ग को ध्वस्त करते हुए पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहित करती है।

सामयिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघीय व्यवस्था के समक्ष नये राज्यों की मांग को लेकर राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को लेकर विश्लेषण करना आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान में देश के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं– भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता व पृथकतावादी एवं अलगाववादी प्रवृत्तियां, पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, गोरखालैण्ड जैसे पृथक स्वतंत्र राज्य की मांग, नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं को बढ़ावा देने वाले राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की भूमिका पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की चुनौती, उत्तर–पूर्व सीमान्त प्रदेशों में उग्रवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली जातीय हिंसा की घटनाएं आदि को गिनाया जा सकता है।

इन चुनौतियों का समाना करने के लिये भारतीय संघ के सामने गम्भीर संकट उपस्थित हो गया है।

स्वतंत्र भारत के छः दशकों के बाद सम्प्रदायिक उन्माद का एक दुष्परिणाम संघीय व्यवस्था के लिये गम्भीर संकट पैदा किया है, जो चुनौती के रूप में संघ के लिये खतरा बना है। कश्मीर में पृथकतावादी तत्वों को बढ़ावा देने से भी सम्प्रदायिक बैमनस्य को बढ़ावा मिला है। सम्प्रदायिकता प्रशासनिक शान्ति को भंग करती है। रामधारी सिंह 'दिनकर' ने सम्प्रदायिकता को राष्ट्रीय रोग कहा है।

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के किसी भी भाग में हुये साम्प्रदायिक दंगों, रक्तपात एवं हत्याकाण्ड से यह स्पष्ट होता है कि यह न केवल भारत के संघीय ढांचे को चोट पहुँचायी है वरन् सामाजिक–सांस्कृतिक ताने–बाने को भी छिन्न–भिन्न किया है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें एक–दूसरे के पूरक हैं, जिसमें संविधान द्वारा प्रमुखता केन्द्र को दी गयी है। यद्यपि राज्य के पृथक गठनोपरान्त सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सम–सामयिक समस्याओं के कारण संघीय चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है तथापि दइइ राज्यों के सहयोगात्मक प्रकृति के कारण राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बल मिलता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने ठीक ही लिखा है ''भारत केवल नई दिल्ली में नहीं है वरन् उसमें राज्यों की राजधानी भी सम्मिलित है। राज्यों को केन्द्र की सहायता की जरूरत है लेकिन यह सही है कि राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकारें बहुधा केन्द्र के नीतियों को लागू करने वाली इकाइयाँ हो सकती है, किन्तु उनकी मदद के बिना केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सकती। इस तरह केन्द्र और राज्य दोनों एक–दूसरे पर निर्भर है।(शर्मा, 2000 पृ0 360) इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय राज्यों का संघ वास्तव में मजबूत केन्द्र को अपनाते हुए अपनी समस्मागत चुनौतियों को उसके ऊपर थोपकर अपना बोझ कम करने का प्रयास करता है। साथ ही संघीय राजनीति में नेतृत्व का संकट सम्बंधी चुनौतियाँ भी दिखाई देती है। प्रखर और निर्मल नेतृत्व का अभाव है राजनीति को हमारे नेताओं ने एक गन्दा खेल बना दिया है। उनमें राजनीतिक अवसरवादिता देखने को मिलती है। जातिवाद, साम्प्रदायिकता के साथ–साथ राजनीतिक अपराधीकरण एक गम्भीर चुनौती हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए इण्डिया टूडे ने लिखा है, ''किसी भी अपराध का नाम लीजिये और आपको एक न एक सांसद मिल सकता है जिसके ऊपर उसका आरोप लगा होगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। चुनाव में रिकार्ड 435 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी खड़े हुए थे। उनमें से 27 संसद में पहुँच गये। इस सूची में 14 सांसदों के साथ भाजपा सबसे ऊपर है, हालांकि उनमें से ज्यादा छोटे–मोटे मामलों के आरोपी हैं। सपा के पास आपराधिक रिकार्ड वाले सात सांसद हैं, उनमें चार हिस्ट्रीशीटर है, कांग्रेस के एक और बसपा के तीन सांसदों का नाम अपराधिक मामलों से जुड़े हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों के पृथक अस्तित्व में आने के बाद परम्परागत समस्यागत चुनौती के साथ कुछ नूतन चुनौतियाँ भी दृष्टिगोचर होती है, जो भारतीय संघ के लिये शुभ संकेत नहीं है।

REFERENCES

शर्मा, डा0जे0पी0 (2000) : *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,* जयपुर, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पृ0 360

राजपूत, सरला राजपूत (1994): *रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन,* नई दिल्ली, राधा प्रकाशन

चन्द्रा, कुमुद (2007) : *भारतीय राजनीतिक व्यवस्था,* नई दिल्ली, स्पेक्ट्रम प्रा0लि0 पृ0 198–199

अवस्थी, डा0ए0पी0अवस्थी (2013) *भारतीय शासन एवं राजनीति,* आगरा, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पृ0–428